



उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
// विज्ञप्ति //

क्रमांक : 692/परीक्षा/2017

जबलपुर, दिनांक- 02/06/2017

जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 व ग्रेड-3, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3(कोर्ट मैनेजर स्टाफ), सहायक ग्रेड-3 एवं सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग), मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड-3, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में स्टेनोटाईपिस्ट व सहायक ग्रेड-3, औद्योगिक न्यायालय में सहायक ग्रेड-3 तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में लिफ्टमैन के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा-2017

आवेदन करने की अंतिम तिथि :	05/07/2017 (बुधवार)
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि-	05/07/2017 (बुधवार)
प्रारंभिक परीक्षा दिनांक :	23/07/2017 (रविवार)

उपरोक्त (नियमित) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र, विज्ञापन दिनांक से दिनांक 05.07.2017 को रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को दिनांक 05.07.2017 को रात्रि 11.59 बजे तक सुधारा जा सकता है।
4. आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को अभ्यर्थी आवेदन भरे जाने की तिथि से अंतिम तिथि तक कभी भी सुधार सकता है।

परीक्षा-शुल्क और पोर्टल शुल्क-

1. अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए रूपये 800/- एमपीऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क एवं रूपये 100/- परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 800+100 = ₹ 900/- (नौ सौ) तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/दिव्यांग आवेदकों के लिए एमपीऑनलाईन को देय केवल पोर्टल शुल्क ₹ 800/- (आठ सौ) देय होगा।
2. सहायक ग्रेड-3(इंग्लिश नोइंग) व इंग्लिश स्टेनोग्राफर के पदों हेतु अभ्यर्थियों को एमपीऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क 100/- एवं रूपये 100/- परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 100+100 = ₹ 200/- (दो सौ) तथा म0प्र

राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/दिव्यांग आवेदकों के लिए एमपीऑनलाईन को देय केवल पोर्टल शुल्क ₹ 100/- (सौ) देय होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कार्य किया जाता है तो सुधार कार्य के लिए एमपीऑनलाईन को ₹ 50/- (पचास) प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

4. अभ्यर्थी यदि एक से अधिक गुप हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक गुप हेतु पृथक से ₹ 100/- (सौ) एमपीऑनलाईन को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

नोट: यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबर पर तत्काल संपर्क करें—फोन—(0755) 4019400

एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल— 402026

समस्या का समाधान न होने पर एम.पी.ऑनलाईन वेबसाईट (www.mponline.gov.in) के होम पेज पर जाकर ऑप्शन “सम्पर्क करें” पर क्लिक कर ऑप्शन “शिकायत” का चयन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

खण्ड “ब”

विज्ञापित पदों का विवरण

गुपवार पदों का विवरण

गुप	पदनाम एवं वेतनमान	रिक्त पद
गुप-ए	(1) शीघ्रलेखक ग्रेड-2 (जिला न्यायालय)	128
	(2) शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय)	499
	(3) शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय कोर्ट मैनेजर स्टाफ)	47
	(4) स्टेनोटाईपिस्ट (म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग)	04
गुप-बी	(1) सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय)	2120
	(2) सहायक ग्रेड-3 (रा.वि.से.प्राधि.)	63
	(3) सहायक ग्रेड-3 (म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग)	02
	(4) सहायक ग्रेड-3 (औद्योगिक न्यायालय)	20
	(5) कम्प्यूटर ऑपरेटर (विधिक सेवा प्राधिकरण)	03
गुप-सी	(1) इंग्लिश स्टेनोग्राफर (विधिक सेवा प्राधिकरण)	01
	(2) सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय)	19
गुप-डी	(1) लिफ्टमैन (उच्च न्यायालय)	04

एक:- पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें :-

पदनाम एवं वेतनमान	रिक्त पद	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता
(1) शीघ्रलेखक ग्रेड-2 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 (जिला न्यायालय)	128	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो।

ग्रेड पे 2800 (विधिक सेवा प्राधिकरण)		परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं अंग्रेजी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। 4. कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान।
(7) कम्प्यूटर ऑपरेटर 5200 – 20200 + ग्रेड पे 1900 (विधिक सेवा प्राधिकरण)	03	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से बी0सी0ए0 परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो।
(8) सहायक ग्रेड-3 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 (जिला न्यायालय)	2120	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
(9) सहायक ग्रेड-3 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 (रा.वि.से.प्राधि.)	63	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
(10) सहायक ग्रेड-3 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 (म0प्र0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग)	02	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
(11) सहायक ग्रेड-3 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 (औद्योगिक न्यायालय)	20	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।
(12) लिफ्टमैन 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 (उच्च न्यायालय)	04	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। 2. लिफ्ट चलाने का पूर्ण ज्ञान एवं अनुभव प्रमाण पत्र (अर्हता प्राप्त इलेक्ट्रिशियन को वरीयता)
कुल पद	2910	

उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, राज्य विधिक सेवा प्राधि०, औद्योगिक न्यायालय एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से संबंधित पदों हेतु दीप :-

- (1) उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (2) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी-3-11 08/3/एक दिनांक 12.06.2009 तथा परिपत्र क्रं.सी-3-8/2013/1/3 दिनांक 01.07.2013 के प्रकाश में केवल निम्नलिखित संस्थाओं से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य किये जायें :-
 1. Diploma from all Universities recognized by UGC.
 2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
 3. Diploma level examination from DOEACC.
 4. M. O. M. Course from Govt. Polytechnic College.
 5. Computer Operator & Programming Assistant(COPA) from I.T.I.

विश्वविद्यालय/डोएक से परीक्षा उत्तीर्ण होना तभी माना जावेगा जबकि संबंधित विश्वविद्यालय/डोएक से प्रमाण पत्र/अंकसूची जारी की गई हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी०ए०, बी०कॉम० या बी०एस०सी० में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु अर्हताकारी नहीं माना जायेगा। (जैसा कि माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं० 1925/2010, आई०एल०आर० (2011) म०प्र० 1847 (डी०बी०) में अभिनिर्धारित किया गया है)

दो: -

- (1) म.प्र. राज्य के बाहर के अजा/अजजा/अपिव के आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित है।
- (2) केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अजा/अजजा/अपिव के हैं, वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।
- (3) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते हों।
- (4) उच्च न्यायालय के पद हेतु अभ्यर्थी का म.प्र. का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है।

तीन: -

- (अ) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
- (ब) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का अग्रिम सूचनापत्र देने पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
- (स) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

चार: —

प्रत्येक प्रवर्ग के नियमित पदों की अनुमानित संख्या :—

क्र०	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से अस्थिबाधित दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद		कुल रिक्तियां
		अनारक्षित	अ०पि०व०	अनु०जाति	अनु० जनजाति	अनारक्षित	अ०पि०व०	अनु०जाति	अनु० जनजाति	अस्थिबाधित	भूतपूर्व सैनिक	
1	शीघ्रलेखक ग्रेड-2 (जिला न्याया०)	75	9	14	30	13	—	—	4	7	—	128
2	शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (जिला न्याया०)	245	67	79	108	61	7	12	20	33	—	499
3	शीघ्रलेखक ग्रेड-3(कोर्ट मैनेजर स्टाफ) (जिला न्याया०)	45	—	—	2	—	—	—	—	—	—	47
4	सहायक ग्रेड-3 (जिला न्याया०)	1106	295	341	378	312	74	90	98	128	—	2120
5	सहायक ग्रेड-3(इंग्लिश नोइंग) (जिला न्याया०)	16	—	—	3	—	—	—	—	—	—	19
6	अंग्रेजी शीघ्रलेखक(विधिक सेवा प्राधि०)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	कम्प्यूटर ऑपरेटर(विधिक सेवा प्राधि०)	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
8	सहायक ग्रेड-3(विधिक सेवा प्राधि०)	22	6	8	27	6	2	2	8	3	2	63
9	स्टेनोग्राफर (उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग)	2	1	—	1	1	—	—	—	1	—	4
10	सहायक ग्रेड-3 (उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग)	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2
11	सहायक ग्रेड-3(औद्योगिक न्यायालय)	13	—	3	4	—	—	—	—	—	—	20
12	लिफ्टमैन (उच्च न्यायालय)	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4
टोटल		1532	378	446	554	394	83	104	126	173	2	2910

पांच:—

- (1) मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 प्रतिशत पद समस्तरीय एवं प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईज) आरक्षित है।
- (2) प्रारंभिक परीक्षा केन्द्र विभिन्न जिलों के शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र के जिले के चयन का विकल्प दिया जायेगा परन्तु परीक्षा केन्द्र व जिले तथा परीक्षा सत्र (Shift) के बारे में अंतिम निर्णय एमपीऑनलाईन का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
- (3) **इंग्लिश स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड-3(इंग्लिश नोइंग), कम्प्यूटर ऑपरेटर व लिफ्टमैन** की मुख्य परीक्षा किसी शैक्षणिक संस्थान या उच्च न्यायालय जबलपुर के परिसर में आयोजित कराई जावेगी तथा परीक्षा की तिथियों की जानकारी उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।
- (4) अभ्यर्थी सभी पद प्रवर्ग या उनमें से किन्हीं के लिये एक ही आवेदन पत्र के द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। लेकिन एक से अधिक पद प्रवर्ग हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का चयन उसके पसंद के पद प्रवर्ग पर नहीं किया जावेगा

बल्कि एक से अधिक पद हेतु सफल अभ्यर्थी को पद प्रवर्ग 1. स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (जिला न्यायालय) 2. स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) व कोर्ट मैनेजर का स्टाफ, 3. इंग्लिश स्टेनोग्राफर 4. स्टेनोटाईपिस्ट (रा0उ0वि0प्र0आ0) 5. सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय), 6. सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) 7. सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) 8. सहायक ग्रेड-3 (रा0उ0वि0प्र0आ0) 9. सहायक ग्रेड-3 (औद्योगिक न्यायालय) 10. कम्प्यूटर ऑपरेटर 11. लिफ्टमैन के घटते कम में अधिमान्यता देते हुए केवल एक पद हेतु चयनित किया जावेगा। यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त किसी पद हेतु चयनित हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को अन्य पदों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

- (5) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो सकेंगे मुख्य परीक्षा हेतु लगभग 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों को बुलाया जावेगा। तथा मुख्य परीक्षा के पश्चात् लगभग 1:1.5 के अनुपात में मेरिट अनुसार अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मंगाये जावेंगे। आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रेषित न करने एवं अपूर्ण आवेदन भेजने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। समस्त अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी कटेगरी सहित लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन-पत्र भेजा जा रहा है अंकित करते हुए प्रेषित करेंगे। यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण परीक्षा सेल द्वारा किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं उन्हें अपात्र किया जायेगा भले ही अभ्यर्थी ने मेरिट में स्थान प्राप्त क्यों न किया हो।

- (6) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र – इंग्लिश स्टेनोग्राफर व , सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) हेतु-

इंग्लिश स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) के पदों हेतु जिन-जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवेदन किया है वे समस्त अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र, ऑनलाईन आवेदन की पावती तथा समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी कटेगरी सहित लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन-पत्र भेजा जा रहा है अंकित करते हुए प्रेषित करेंगे। यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण परीक्षा सेल द्वारा किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं उन्हें अपात्र किया जायेगा तथा पात्र व अपात्र अभ्यर्थियों की सूचियां कारण उल्लेखित करते हुए उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।

